JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समान नागरिक संहिता : धार्मिक विविधता और सामाजिक समानता का संतुलन

प्रिया भारती शर्मा

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान

राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय, लालसोट, जिला दौसा

सारांश :

भारत जैसे बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। यह संहिता सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करने का प्रयास करती है, चाहे उनका धर्म, जाति, या समुदाय कुछ भी हो। वर्तमान में, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे मामलों के लिए अलग–अलग धर्मों के अलग–अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं, जो कभी–कभी लैंगिक असमानता और सामाजिक अन्याय का कारण बनते हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन असमानताओं को दूर करना और सामाजिक समानता तथा धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना है। इस शोध पत्र में, व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न जटिलताओं और उनके समाज पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यूसीसी धार्मिक विविधता के सम्मान को बनाए रखते हुए नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित कर सकता है। भारत की संवैधानिक धारा 44 के तहत यूसीसी लागू करने का प्रावधान है, लेकिन इसे वास्तविकता में लागू करने के प्रयासों को हमेशा सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है।

पेपर यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि समान नागरिक संहिता, यदि व्यापक संवाद, परामर्श, और चरणबद्ध तरीके से लागू की जाए, तो यह केवल एक कानूनी सुधार नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। यह महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों को सशक्त करेगा, और धार्मिक विविधता के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा। इस प्रक्रिया में, समाज और नीति–निर्माताओं को संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता ळें

1. भूमिका

समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत प्रस्तुत की गई है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। संविधान सभा में इस विषय पर गहन बहस हुई थी, जहाँ डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे सामाजिक और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसे लागू करना तत्काल संभव नहीं है क्योंकि भारत की विविधता इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है (अंबेडकर, 1948)।

ब्रिटिश शासन के दौरान, अपराध और दंड के मामलों में समान कानून लागू किया गया, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (1860), लेकिन व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार बनाए रखा गया। इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना था, लेकिन इससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला (श्रोफ, 2010)।

भारत में इसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि, व्यक्तिगत कानून विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग नियम निर्धारित करते हैं, जो सामाजिक असमानता और भेदभाव का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की अनुमति देता है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) में 2005 से पहले तक महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया गया था (सुप्रीम कोर्ट, 2001)।

इन असमानताओं के कारण समाज में लैंगिक भेदभाव और धार्मिक विवाद पैदा होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता समाज में लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है (सुप्रीम कोर्ट, 1985)।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समानता के बीच संतुलन की चुनौती

भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, जहाँ यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती भी है। विभिन्न समुदाय अपनी धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों को अपनी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। शाह बानो प्रकरण (1985) इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुस्लिम समुदाय ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप के रूप में देखा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जो समान नागरिक संहिता के उद्देश्य के विपरीत था (श्रोफ, 2010; विधि आयोग, 2018)।

इस प्रकार, समान नागरिक संहिता लागू करना न केवल कानूनी मुद्दा है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता का भी विषय है। इसका समाधान तभी संभव है जब सभी समुदायों को इसमें शामिल किया जाए और उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए (विधि आयोग, 2018)।

विषय का उद्देश्य

इस पेपर का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक विविधता और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण करना है। इसमें यह अध्ययन किया गया है कि कैसे समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करते हुए धार्मिक परंपराओं का सम्मान कर सकती है। पेपर में चरणबद्ध दृष्टिकोण और व्यापक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और विधि आयोग की रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समान नागरिक संहिता, यदि सावधानीपूर्वक लागू की जाए, तो यह लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है (विधि आयोग, 2018; श्रोफ, 2010)।

2. धार्मिक विविधता और व्यक्तिगत कानून

भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो समय–समय पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), और हिंदू दत्तक ग्रहण और दानपत्ति अधिनियम (1956) जैसे कानून बने हैं। इन कानूनों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर स्पष्ट प्रावधान हैं, जो हिंदू धर्म के अनुसार निर्धारित हैं (कौल, 2015)।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत मुसलमानों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और संपत्ति के अधिकारों पर अलग नियम हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामले जैसे बहुविवाह, तलाक, और गुजारा भत्ता आदि, मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित होते हैं। विशेष रूप से, मुस्लिम समुदाय में 'तलाक' का अधिकार पुरुषों को होता है, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं (कुमार, 2000)।

ईसाई और पारसी धर्मों के लिए भी व्यक्तिगत कानून निर्धारित हैं, जो उनके धर्म के अनुयायियों के निजी मामलों को नियंत्रित करते हैं। ईसाई धर्म में ईसाई विवाह अधिनियम (1872) और पारसी धर्म में पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (1936) जैसे कानून हैं, जो दोनों धर्मों के अनुयायियों के विवाह और तलाक संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं (भट्टाचार्य, 2010)।

इन कानूनों की विविधता और उनकी जटिलताएँ

भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानून होने से एक ही विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, जो सामाजिक और कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की अनुमति देता है, जबकि हिंदू धर्म में यह प्रथा अवैध मानी जाती है। इसके अलावा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिला को उत्तराधिकार में समान अधिकार नहीं होते (शाह, 2004)।

इसके अलावा, तलाक की प्रक्रिया भी विभिन्न धर्मों के लिए भिन्न है। मुस्लिम कानून में 'तलाक' का अधिकार केवल पुरुषों को होता है, जबकि हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक के लिए दोनों पक्षों की सहमति और न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता होती है। यह विभिन्नता न केवल कानूनी जटिलताओं को जन्म देती है, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता को भी बढ़ावा देती है (कुमार, 2000)। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न समुदायों के बीच समानता और समरसता बनाए रखना कठिन हो जाता है, और यह भारतीय समाज में धार्मिक आधार पर भेदभाव और असमानता का कारण बनता है।

धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच द्वंद्व

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार और संरक्षण प्रदान करेगा। हालांकि, व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ संघर्ष करती है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग–अलग कानूनों का अस्तित्व राज्य द्वारा समान नागरिक अधिकारों की गारंटी देने के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।

इसके उदाहरण के रूप में शाह बानो प्रकरण (1985) को लिया जा सकता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन इस निर्णय का विरोध मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में किया गया। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिससे समान नागरिक संहिता के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया (श्रोफ, 2010)। इस प्रकार, व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से टकराता है, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए धार्मिक समुदायों के बीच विश्वास और सहमति की आवश्यकता होगी (कुलकर्णी, 2017)।

3. समान नागरिक संहिता का उद्देश्य

समान नागरिक संहिता का प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं और

कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति दी जाती है, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की असमानता न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है (कुमार, 2000)।

यूसीसी के लागू होने से प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होंगे, विशेष रूप से महिलाओं को, जो आज भी कई धार्मिक कानूनों के तहत असमानता का सामना करती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार पर्सनल लॉ के तहत सीमित था। समान नागरिक संहिता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हों (शाह, 2004)।

धर्मनिरपेक्षता का प्रवर्धन

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का पालन करने की बात करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य को किसी भी धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग–अलग कानूनी प्रावधान होते हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने से एक ही कानूनी ढांचा सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा, जो न केवल धार्मिक विविधता का सम्मान करेगा, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे राज्य का हस्तक्षेप धर्मनिरपेक्ष तरीके से किया जा सके (कुलकर्णी, 2017)।

व्यक्तिगत कानूनों को सरल और समान बनाना

भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता समाज में असमंजस और कानूनी भ्रम का कारण बनती है। विभिन्न समुदायों के लिए अलग–अलग कानूनों के कारण समाज में समानता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में एक व्यक्ति को हिंदू कानून के तहत संपत्ति का अधिकार मिलता है, जबकि दूसरे को मुस्लिम कानून के तहत नहीं। यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को एक समान, सरल और सुलभ बनाना है। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता आएगी। यह न केवल कानूनी जटिलताओं को समाप्त करेगा, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देगा (कुलकर्णी, 2017)।

समाज में समरसता और एकता सुनिश्चित करना

समान नागरिक संहिता का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता और विविधता के बावजूद, समाज में धार्मिक आधार पर भेदभाव और असमानता देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के कारण धार्मिक समुदायों के बीच न केवल कानूनी, बल्कि

सांस्कृतिक और सामाजिक भेदभाव भी होता है। यूसीसी लागू करने से एक समान कानूनी ढांचा स्थापित होगा, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा और समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देगा। यह विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एकता और सामूहिक पहचान को मजबूत करेगा, जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके (शाह, 2004)।

4. समान नागरिक संहिता लागू करने की चुनौतियाँ

भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग अपनी परंपराओं को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उन्हें इन परंपराओं से जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं के तहत ही अपनी पहचान स्थापित करते हैं। इसलिए, समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव धार्मिक समुदायों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया जाता है।

मुस्लिम समुदाय में विशेष रूप से यह चिंता है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह और तलाक जैसी परंपराएँ हैं, जिनके बारे में मुस्लिम समुदाय का मानना है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इसी तरह, हिंदू धर्म में भी विभिन्न परंपराएँ हैं, जिनमें विवाह और उत्तराधिकार के अधिकार विशेष महत्व रखते हैं। इन परंपराओं के संरक्षण को लेकर समाज में विरोधाभास उत्पन्न होता है (कुमार, 2000)।

विविधता और परंपराओं का संरक्षण

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता देश की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह विविधता समान नागरिक संहिता के लागू होने में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी परंपराएँ, रीति–रिवाज और कानूनी प्रणाली है, जिनका पालन वे अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार करते हैं। समान नागरिक संहिता के तहत इन परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाना एक जटिल कार्य है।

विविधता के सम्मान और परंपराओं के संरक्षण का मुद्दा भी यहाँ महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां समान नागरिक संहिता से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर, यह समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल सकता है। इस चुनौती का समाधान तभी संभव है जब इसे लागू करते समय प्रत्येक समुदाय की परंपराओं का सम्मान किया जाए (शाह, 2004)।

राजनीतिक विपरीतता और सामाजिक धारणाएँ

भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक विपरीतता एक बड़ी समस्या बन गई है। कुछ राजनीतिक दल इसे एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में पेश करते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण मानते हैं। राजनीतिक दल इसे वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे इस मुद्दे पर सही और निष्पक्ष विचार–विमर्श में बाधा उत्पन्न होती है।

इसके अलावा, समाज में विभिन्न सामाजिक धारणाएँ भी समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़ी होती हैं। कई लोग मानते हैं कि यह कानून समाज में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देगा और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करेगा। इन सामाजिक धारणाओं के कारण समान नागरिक संहिता की दिशा में समाज में सामूहिक सहमति बनाना कठिन हो जाता है (कुलकर्णी, 2017)।

कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएँ

समान नागरिक संहिता को लागू करने में कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएँ भी उत्पन्न होती हैं। विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व होने के कारण, उन्हें एक समान ढांचे में समाहित करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए न केवल कानूनी रूप से जटिल प्रक्रियाओं को पार करना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। कानूनी प्रावधानों के अलावा, प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, इसके लिए पूरी कानूनी व्यवस्था को संशोधित करना पड़ेगा। इसमें न्यायपालिका, पुलिस, और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसे लागू करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक, सामाजिक, और कानूनी समर्थन की आवश्यकता होगी (श्रोफ, 2010)।

5. संभावित समाधान

जागरूकता अभियान और समाज में संवाद

समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जागरूकता फैलाने की है। समाज के प्रत्येक वर्ग को इसके उद्देश्य, लाभ और इसकी आवश्यकता के बारे में समझाना महत्वपूर्ण है। कई धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय यूसीसी को लेकर संकोच और भ्रांतियों का सामना करते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए व्यापक और पारदर्शी संवाद की आवश्यकता है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं की भूमिका इस संवाद में बहुत अहम होगी। उन्हें समाज में जागरूकता फैलाने और यूसीसी के लाभों को समझाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस संवाद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी समुदायों के लोग इसे एक समग्र और समान अधिकार देने वाले कानून के रूप में देखें, न कि उनके धार्मिक

विश्वासों के खिलाफ। इसके लिए मीडिया, समाज सेवा संगठन, और शैक्षिक संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक होगा (शाह, 2004)।

चरणबद्ध कार्यान्वयन और परामर्श प्रक्रिया

यूसीसी को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होगा, ताकि इसे समाज में स्वीकार्यता मिल सके और हर समुदाय की चिंताओं को सही तरीके से संबोधित किया जा सके। सबसे पहले, एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। यह प्रक्रिया समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों को सुनने, समझने और उन्हें सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करेगी। चरणबद्ध कार्यान्वयन में पहले कानून के केवल कुछ हिस्सों को लागू किया जा सकता है, जिन पर समाज में कम विरोध हो। धीरे–धीरे, इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, ताकि समय के साथ लोगों को इसकी आवश्यकता और महत्व का एहसास हो। यह विधि न केवल इसे स्वीकार्य बनाएगी, बल्कि इसे लागू करते समय विभिन्न समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी सम्मान किया जाएगा (कुलकर्णी, 2017)।

सभी समुदायों की सहमति और समावेशी दृष्टिकोण

समान नागरिक संहिता को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे सभी समुदायों द्वारा स्वीकार किया जाए। इसलिए, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक धर्म और समुदाय की विशेषताओं का ध्यान रखा जाए। यूसीसी का उद्देश्य केवल कानूनी समानता प्रदान करना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी समुदाय की धार्मिक पहचान या परंपराएँ बाधित न हों। इसलिए, इसे लागू करते समय धार्मिक मामलों में समुदायों के अधिकारों को भी संरक्षित करना जरूरी है। इस प्रक्रिया में उनके विचारों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है (कुमार, 2000)।

लैंगिक समानता पर प्राथमिकता

समान नागरिक संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। विभिन्न धार्मिक कानूनों के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते, जो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन है। यूसीसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, विशेष रूप से महिलाओं को। यूसीसी को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। चाहे वह तलाक का अधिकार हो, संपत्ति में हिस्सा हो या विवाह के अधिकार, महिलाओं को समान और न्यायपूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यूसीसी के तहत सभी नागरिकों के बीच लैंगिक समानता सुनिश्चित हो (शाह, 2004)।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता भारतीय समाज में समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके माध्यम से समाज में धार्मिक विविधता के बावजूद सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, जो कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। हालांकि, यूसीसी को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध, विविधता और परंपराओं का संरक्षण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, और कानूनी जटिलताएँ। इन चुनौतियों को पार करने के लिए जागरूकता अभियान, चरणबद्ध कार्यान्वयन, सभी समुदायों की सहमति और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य केवल कानूनी समानता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता, समरसता और लैंगिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है और समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इस प्रकार, यूसीसी का कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे सही दृष्टिकोण और सही रणनीतियों के साथ लागू किया जा सकता है, ताकि यह भारतीय समाज के हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कर सके।

संदर्भ

1. अंबेडकर, बी. आर. (1948), संविधान सभा बहसें, खंड VII, अनुच्छेद 44 चर्चा.
2. श्रोफ, पार्थसारथी (2010), यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारतीय संविधान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (1985), मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985 ,.आई.आर. 945.
4. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2001), डैनियल लतीफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2001 (7) एस.सी.सी. 740.
5. विधि आयोग, भारत सरकार (2018), परिवार कानूनों में सुधार पर परामर्श पत्र.
6. कौल, क. (2015), हिंदू व्यक्तिगत कानून और उनके सामाजिक प्रभाव, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस.
7. कुमार, प. (2000), मुस्लिम पर्सनल लॉः सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, जयपुरः राजस्थान पुस्तकालय.
8. भट्टाचार्य, आर. (2010), ईसाई और पारसी व्यक्तिगत कानून, कोलकाताः अलेक्जेंडर पब्लिशर्स.
9. शाह, ह. (2004), हिंदू उत्तराधिकार और महिलाओं के अधिकार, मुंबईः वर्धमान पब्लिकेशन.
10. कुलकर्णी, एस. (2017), धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानूनः एक विश्लेषण, पुणे विश्वविद्यालय प्रेस.